

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, जनपद-पौड़ी	कार्यालय-परियोजना निदेशक, हीफर रियरिंग फार्म, पशुलोक-ऋषिकेश जनपद-देहरादून।	निजी अनुरोध
02	श्री गिरबीर सिंह, कनिष्ठ सहायक	कार्यालय- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, जनपद-पौड़ी	कार्यालय- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी जनपद-उत्तरकाशी।	निजी अनुरोध

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० मूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 603

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3- परियोजना निदेशक, हीफर रियरिंग फार्म, पशुलोक-ऋषिकेश।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

/स्था०-2/वा०स्था० (लि०सं०)/2025-26 दिनांक 10.06.25

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31-10-25
(डा० मूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-18(3) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सोबन सिंह पुण्डीर, प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून जनपद-देहरादून।	कार्यालय-परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक -ऋषिकेश देहरादून, जनपद-देहरादून।	पारस्परिक स्थानान्तरण
02	श्री रणवीर सिंह चौहान, प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय-परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक -ऋषिकेश देहरादून जनपद-देहरादून।	कार्यालय- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून जनपद-देहरादून।	

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 604

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देहरादून।
- 3- परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

/स्था०-2/वा०स्था० (लि०सं०)/2025-26 दिनांक 10.06.25

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21-6-10/6/25
(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(ग) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम श्रेणी में)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अजय पाल नेगी, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल।	कार्यालय-परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश, जनपद-देहरादून	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

27.10/25
(डा० भूपेन्द्र सिंह जगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 628

प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/वा०स्थाना० (लि०सं०)/2025-26 दिनांक 10.10.25
- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
 - 2- परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश, जनपद-देहरादून।
 - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी।
 - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

o/c

27.10/25
(डा० भूपेन्द्र सिंह जगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(क) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम श्रेणी में)

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अभिषेक नवानी, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय-परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश, जनपद-देहरादून	कार्यालय- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 627

प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/वा०स्थाना० (लि०सं०)/2025-26 दिनांक 10.06.25
- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
 - 2- परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश, जनपद-देहरादून।
 - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी।
 - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।